कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगर—मालवा म.प्र.

क्रमांक 743/2026 आगर, दिनांक—29/06/2026

आदेश

माह **जुलाई, 2026 एवं अगस्त, 2026** में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक एवं घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने—अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 3 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होकर संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश दिनांक **01.07.2026** से प्रभावी रहेगा।

क.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई	अगस्त
1	श्री हेमंत मेहरा जे.एम.एफ.सी. आगर	**18, 19**	**1, 2, 28**
2	सुश्री मोनिका यादव जे.एम.एफ.सी. आगर	**04, 05**	**9, 15, 16**
3	सुश्री प्रियंका चौहान जे.एम.एफ.सी. आगर	**12, 26**	**23, 24, 30**
		सुसनेर	
4	श्रीमती अरूधंती परस्ते जे.एम.एफ.सी. सुसनेर	**18, 19, 26**	**1, 2, 9, 28, 30**
5	सुश्री वंशिता गुप्ता जे.एम.एफ.सी. सुसनेर	**04, 05, 12**	**15, 16, 23, 24**
		नलखेडा	
6	श्री नितिन सोनी जे.एम.एफ.सी. नलखेडा	**04, 05, 12, 18, 19, 26**	**1, 2, 9, 15, 16, 23, 24 28, 30**

आवश्यक निर्देश

1— सामान्य कार्य दिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड डयूटी अवधि को शामिल करते हुए **मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश** का आवेदन प्रस्तुत करते है अथवा **प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर** जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड डयूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड **कार्य विभाजन पत्रक** के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड डयूटी संपादित करेंगेः—

(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगर—मालवा — हस्ताक्षर एवं मुहर)

माह जुलाई 2026 में सुश्री मोनिका यादव एवं अगस्त, 2026 में सुश्री प्रियंका चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर,

माह जुलाई में सुश्री वंशिका गुप्ता एवं अगस्त, 2026 में श्रीमती अरूधंती परस्ते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुसनेर

3. उक्त शासकीय अवकाशों में यदि पुलिस विभाग द्वारा **काम्बिंग गश्त** की जाती है तो निम्नानुसार अतिरिक्त न्यायिक दण्डाधिकारीगण उक्त रिमाण्ड डयूटी संपादित करेंगे :–

माह जुलाई, 2026 में सुश्री मोनिका यादव एवं अगस्त 2026 में सुश्री प्रियंका चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर, म0प्र0

4. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते है तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगर–मालवा को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

(अरूण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगर–मालवा म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक...............2026 आगर दिनांक ....

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय आगर–मालवा की ओर सूयनार्थ प्रेषित।

2. समस्त न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर/सुसनेर/नलखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी आगर/सुसनेर/नलखेडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. सचिव बार एसोशियेशन आगर की ओर अवगत कराये जाने हेतु।

5. जिला अभियोजन अधिकारी आगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय आगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रिमांड ड्यूटी आदेश समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट आगर/सुसनेर/नलखेडा के कार्यालयीन ईमेल पर अपलोड किये जाने हेतु।

(अरूण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगर–मालवा म.प्र.